पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1412
दिनांक-11.08.2026

क्राइम ब्रांच

साइबर/ नशा मुक्ति सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान

Hygia Group of Institutions में छात्र-छात्राओं को रैगिंग, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं नशे से बचाव के प्रति किया गया जागरूक

श्रीमान पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री तरुण गाबा के युवाओं को साइबर अपराध एवं अन्य सामाजिक अपराधों से सुरक्षित रखने तथा साइबर जागरूकता को व्यापक जन-जागरूकता अभियान के रूप में आगे बढ़ाने के विजन के क्रम में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-छात्राओं के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.08.2026 को Hygia Group of Institutions में छात्र-छात्राओं को रैगिंग की रोकथाम, महिला एवं बालिका सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग तथा ड्रग्स/नशीले पदार्थों से बचाव के संबंध में जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम/वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के लगभग 170 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम में श्रीमती किरन यादव (IPS), अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध, लखनऊ मुख्य अतिथि के द्वारा युवाओं को अपराधों के प्रति जागरूक रहने के साथ-साथ उन्हें वास्तविक जीवन एवं डिजिटल दुनिया में सामने आने वाली परिस्थितियों में सतर्क रहने, सही निर्णय लेने, समय रहते सहायता लेने तथा स्वयं एवं अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर जागरूक किया गया।

01. पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था एवं नागरिक पुलिस सेवाओं के संबंध में जागरूकता

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था एवं नागरिकों को उपलब्ध विभिन्न पुलिस सेवाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई, ताकि युवा किसी भी आपात स्थिति अथवा आवश्यकता के समय सही पुलिस इकाई एवं उपलब्ध सेवा का उपयोग कर सकें।

मुख्य बिंदु—

* छात्र-छात्राओं को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई।
* पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री तरुण गाबा के बारे में बताते हुए कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया।
* Zero FIR की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि घटना किसी भी थाना क्षेत्र से संबंधित हो, आवश्यकता के अनुसार FIR दर्ज कराने के अधिकार एवं प्रक्रिया के संबंध में जागरूक रहें।
* e-FIR के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन पुलिस सेवा एवं उसके उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई।
* महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित Pink Booths के संबंध में जानकारी दी गई तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
* महिलाओं की सहायता एवं सुरक्षा के लिए महिला सहायता डेस्क/महिला सुरक्षा केंद्र (MSK) जैसी उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया।
* छात्रों को यह संदेश दिया गया कि पुलिस से सहायता लेने में किसी प्रकार की झिझक न रखें तथा आवश्यकता होने पर उपलब्ध पुलिस सेवाओं का समय से उपयोग करें।

02. रैगिंग की रोकथाम एवं जागरूकता- छात्र-छात्राओं को रैगिंग के दुष्परिणामों एवं इससे बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया गया।

मुख्य बिंदु—

* रैगिंग को सामान्य मजाक अथवा मनोरंजन न समझने का संदेश।
* किसी जूनियर छात्र को डराना, धमकाना, अपमानित करना अथवा मानसिक/शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना स्वीकार्य नहीं।
* यदि कोई वरिष्ठ छात्र देर रात बुलाता है या किसी ऐसी गतिविधि के लिए दबाव बनाता है जिससे छात्र असहज महसूस करे, तो चुप न रहने की सलाह।
* ऐसी स्थिति में अभिभावक, शिक्षक/संस्थान के जिम्मेदार अधिकारी अथवा पुलिस को तत्काल सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया।
* डर अथवा दबाव के कारण किसी घटना को छिपाने के बजाय समय रहते उसकी सूचना देने का संदेश दिया गया।

03. महिला एवं बालिका सुरक्षा तथा व्यक्तिगत सुरक्षा

बालिकाओं एवं सभी छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा एवं आपात परिस्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

मुख्य बिंदु—

* किसी भी असहज, संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक स्थिति को नजरअंदाज न करने की सलाह।
* अपरिचित व्यक्तियों पर अनावश्यक विश्वास न करने तथा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी बरतने का संदेश।
* किसी खतरे की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल विश्वसनीय व्यक्ति से सहायता लेने की सलाह।
* अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को समय रहते सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।
* बालिकाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक, सतर्क एवं आत्मविश्वासी रहने का संदेश दिया गया।

04. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव

युवाओं के बीच बढ़ते डिजिटल एवं सोशल मीडिया उपयोग को देखते हुए साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव पर विशेष रूप से जागरूक किया गया।

मुख्य बिंदु—

* फर्जी लिंक, संदिग्ध कॉल, SMS एवं मैसेज से सावधान रहने की सलाह।
* OTP, पासवर्ड, बैंकिंग संबंधी जानकारी एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करने का संदेश।
* अनजान अथवा संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और संदिग्ध वेबसाइट/ऐप से सावधान रहने की सलाह।
* साइबर अपराध होने पर घबराने के बजाय तत्काल शिकायत/सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।
* छात्रों को डिजिटल दुनिया में सतर्क, जिम्मेदार एवं साइबर-सुरक्षित व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया।

05. सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग

छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ उससे जुड़े जोखिमों एवं व्यक्तिगत जानकारी के संभावित दुरुपयोग के संबंध में जागरूक किया गया।

मुख्य बिंदु— निजी फोटो एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने की सलाह।

* मोबाइल नंबर, लोकेशन, कॉलेज/घर से संबंधित जानकारी जैसी निजी सूचनाओं को सार्वजनिक न करने का संदेश।
* अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट, संदिग्ध प्रोफाइल एवं मैसेज से सावधान रहने की सलाह।
* सोशल मीडिया अकाउंट की privacy settings का उचित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
* किसी फोटो, वीडियो अथवा निजी जानकारी के दुरुपयोग की आशंका होने पर तत्काल सूचना देने की सलाह।
* सोशल मीडिया का उपयोग सुरक्षित, सकारात्मक एवं जिम्मेदार तरीके से करने का संदेश दिया गया।

06. ड्रग्स/नशीले पदार्थों से बचाव

युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के संबंध में विस्तार से जागरूक किया गया।

मुख्य बिंदु—

* नशीले पदार्थों के सेवन से पूर्णतः दूर रहने का संदेश।
* नशे की शुरुआत अक्सर जिज्ञासा, प्रयोग अथवा गलत संगति से होने के संबंध में जागरूक किया गया।
* गलत संगति एवं नशे के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने की सलाह।
* नशीले पदार्थों के किसी भी प्रलोभन अथवा दबाव को स्पष्ट रूप से "ना" कहने के लिए प्रेरित किया गया।
* अपने मित्रों एवं सहपाठियों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

07. छात्र-छात्राओं के साथ संवादात्मक एवं इंटरैक्टिव सत्र

कार्यक्रम को केवल एकतरफा व्याख्यान तक सीमित न रखते हुए छात्र-छात्राओं के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया तथा उनकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान किया गया।

मुख्य बिंदु—

* रैगिंग से जुड़ी वास्तविक परिस्थितियों पर छात्रों के साथ चर्चा।
* यदि कोई वरिष्ठ छात्र देर रात बुलाए या अनुचित दबाव बनाए तो क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर संवाद।
* साइबर फ्रॉड एवं सोशल मीडिया से जुड़े व्यवहारिक उदाहरणों पर चर्चा।
* असहज अथवा आपात स्थिति में किससे और किस प्रकार सहायता लेनी चाहिए, इस पर मार्गदर्शन।
* छात्रों को अपनी समस्याओं को बिना झिझक साझा करने एवं समय रहते सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
* छात्रों को स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अपने मित्रों एवं सहपाठियों को भी जागरूक करने का संदेश दिया गया।

08. महत्वपूर्ण हेल्पलाइन एवं सूचना देने के माध्यम

छात्र-छात्राओं को बताया गया कि किसी अपराध, साइबर फ्रॉड, नशीले पदार्थों की तस्करी अथवा मानव तस्करी से संबंधित संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर उसे छिपाने के बजाय समय रहते संबंधित हेल्पलाइन/पुलिस को सूचना देना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण नंबर—साइबर क्राइम/ऑनलाइन फ्रॉड – 1930

* MANAS – 1933 — मादक पदार्थों/नशीले पदार्थों से संबंधित सूचना हेतु।
* ड्रग्स तस्करी एवं मानव तस्करी संबंधी सूचना – 7839861034

छात्रों को विशेष रूप से संदेश दिया गया कि सूचना देने में भय या संकोच न रखें तथा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय रहते पुलिस तक पहुंचाएं।

09. जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश

कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को "Be Aware, Be Safe, Be Responsible" की भावना के साथ जागरूक, सतर्क एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

छात्रों को यह संदेश दिया गया कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जागरूकता, सतर्कता और जिम्मेदारी से ही सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा पुलिस कमिश्नर श्री तरुण गाबा के साइबर जागरूकता एवं युवा सुरक्षा संबंधी विजन के अनुरूप युवाओं को साइबर अपराध, नशे एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों से बचाने तथा महिला एवं बालिका सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं–

किरन यादव आईपीएस, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, कमि0 लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1406
दिनांक-11.08.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा मोबाइल चोरी में गिरफ्तार एवं पुलिस अभिरक्षा से फरार शातिर अभियुक्त को 24 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2026 को **वादिनी मुकदमा श्रीमती सुशीला साहू** पत्नी श्री शत्रोहन साहू नि0-पन्नी वाली गली निवाजगंज चौराहा थाना ठाकुरगंज लखनऊ के द्वारा तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया गया कि 07/08/2026 को रात्रि में करीब 02.30 बजे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा छत के रास्ते घर में घुसकर अलमारी में रखी नगदी व ओप्पो कंपनी का मोबाइल चोरी कर लेकर भाग गया।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-527/2026 धारा-305ए/331(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम अज्ञात** के पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं घटना में शामिल चोर की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज आदि एवं अन्य साक्ष्य संकलन एवं मुखबिरी सूचना के आधार पर दिनांक-09.08.2026 को उक्त घटना में **शामिल अभियुक्त-शानू उर्फ मो0 समद पुत्र स्व0 रईस उर्फ शाहिल निवासी- रईस नगर जामा मस्जिद के पीछे तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र-32 वर्ष** को **गुलालाघाट थाना क्षेत्र** ठाकुरगंज से समय 23.40 बजे गिरफ्तार कर हवालात में निरूद्ध किया गया था।

निरूद्धी के दौरान सुबह के समय अभियुक्त द्वारा शौच जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर अभियुक्त उपरोक्त को **संतरी ड्यूटी पर उपस्थित आरक्षी की निगरानी में शौच क्रिया हेतु थाना परिसर में बने शौचालय भेजा गया। इसी दौरान उक्त अभियुक्त चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।**

जिसके सम्बन्ध में **थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-533/2026 धारा-261/262 बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया।** उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना स्तर से 04 टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तारी हेतु लगी हुयी ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा **फरार/वाँछित अभियुक्त शानू उर्फ मो0 समद** उपरोक्त को **आज दिनांक-11.08.2026** को **लल्ला बिरयानी शॉप के पास चौपटिया रोड थाना क्षेत्र सआदतगंज से गिरफ्तार** कर पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

01-मु0अ0सं0-11/2016 धारा-380/411/457 आई पी सी थाना तालकटोरा लखनऊ

02-मु0अ0सं0-56/2016 धारा-379 बी.एन.एस थाना अलीगंज लखनऊ

03-मु0अ0सं0-61/2016 धारा-380/457 थाना अलीगंज लखनऊ

04-मु0अ0सं0-368/25 धारा - 305(A)/331(3)/317 (2)/324 (2) बी.एन.एस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

05-मु0अ0सं0-443/24 धारा-118 (1)/351 (3)/352 बी.एन.एस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

06-मु0अ0सं0-527/2026 धारा-305ए/331(4)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

07-मु0अ0सं0-533/2026 धारा-261/262 बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शानू उर्फ मो0 समद पुत्र स्वः रईस उर्फ शाहिल निवासी- रईस नगर जामा मस्जिद के पीछे तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ व उम्र-32 वर्ष।

05-बरामदगी का विवरण-

एक अदद oppo कंपनी का मोबाईल फोन रंग गहरा नीला।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना ठाकुरगंज

- **प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान** थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- उ0नि0 राजीव प्रताप सिंह प्रभारी चौकी हुसैनाबाद
- उ0नि0 श्री रितेश कुमार राय प्रभारी चौकी तहसीनगंज
- का0 मोहित सिंह
- का0 दीप नारायण
- का0 बृजेश कुमार यादव
- रि0 का0 अजीत कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1409
दिनांक- 11.08.2026

क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट लखनऊ

- **साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई-119 गिरफ्तारियों के बाद अंतरराज्यीय स्तर पर भी कार्रवाई जारी।**

साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 119 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी, तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पुलिस टीम द्वारा कोलकाता से 03 तथा गुजरात से 01 अन्य महत्वपूर्ण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों से स्पष्ट है कि विवेचना को केवल घटनास्थल तक सीमित न रखते हुए अपराध से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क एवं उसके अन्य सहयोगियों तक पहुंचने के लिए लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रकरण में प्राप्त डिजिटल एवं तकनीकी साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है तथा विवेचना के क्रम में आगे भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

इसी क्रम में पुलिस कार्रवाई की समग्र समीक्षा के दौरान उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, अभिलेखों एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। परीक्षण के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका एवं निर्धारित प्रक्रिया के विचलन से संबंधित तथ्य संज्ञान में आने पर 03 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है,इसके अतिरिक्त 06 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

उक्त कार्रवाई प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने तथा पुलिस कार्यप्रणाली में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

पुलिस द्वारा साइबर अपराध से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान एवं उसके प्रत्येक स्तर पर संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण किया जा रहा है। साइबर अपराध में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त व्यक्ति अथवा किसी भी स्तर पर साइबर अपराधियों को सहयोग, संरक्षण या सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों की जांच में भूमिका प्रमाणित होने पर, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना तथा अपराध से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाना पुलिस की प्राथमिकता है।

-श्रीमती किरन यादव आईपीएस एडीसीपी क्राइम, कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1409
दिनांक- 11.08.2026

क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट लखनऊ

- **साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई-119 गिरफ्तारियों के बाद अंतरराज्यीय स्तर पर भी कार्रवाई जारी।**

साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 119 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी, तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पुलिस टीम द्वारा कोलकाता से 03 तथा गुजरात से 01 अन्य महत्वपूर्ण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों से स्पष्ट है कि विवेचना को केवल घटनास्थल तक सीमित न रखते हुए अपराध से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क एवं उसके अन्य सहयोगियों तक पहुंचने के लिए लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रकरण में प्राप्त डिजिटल एवं तकनीकी साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है तथा विवेचना के क्रम में आगे भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

इसी क्रम में पुलिस कार्रवाई की समग्र समीक्षा के दौरान उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, अभिलेखों एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। परीक्षण के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका एवं निर्धारित प्रक्रिया के विचलन से संबंधित तथ्य संज्ञान में आने पर 03 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है,इसके अतिरिक्त 06 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

उक्त कार्रवाई प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने तथा पुलिस कार्यप्रणाली में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

पुलिस द्वारा साइबर अपराध से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान एवं उसके प्रत्येक स्तर पर संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण किया जा रहा है। साइबर अपराध में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त व्यक्ति अथवा किसी भी स्तर पर साइबर अपराधियों को सहयोग, संरक्षण या सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों की जांच में भूमिका प्रमाणित होने पर, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना तथा अपराध से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाना पुलिस की प्राथमिकता है।

-श्रीमती किरन यादव आईपीएस एडीसीपी क्राइम, कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1410

दिनांक- 11.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी थाना मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक-26.07.2026 की रात्रि में वादिनी की पुत्री आभूषण एवं नगदी लेकर कही चली गयी है। जानकारी करने पर पता चला कि सनी पुत्र स्व0 अशोक कुमार, निवासी उपरोक्त, भी अपने घर पर मौजूद नहीं था। इस संबंध में जानकारी करने पर विपक्षीगण द्वारा वादिनी के साथ वाद-विवाद किया गया। वादिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व विपक्षीगणों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मोहनलालगंज, लखनऊ पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0-278/2026, धारा 87/137(2)/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के सफल अनावरण एवं पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा तत्काल 02 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से दिनांक 11.08.2026 को अभियुक्त सनी को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया व पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।

02-पूछताछ अभियुक्तः-

अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से कई सालों से जानते है। जिस कारण मैने पीड़िता को बहला फुसलाकर दिनाक 26.08.2026 को अपने साथ भगाकर नादरगंज लखनऊ चला गया था। परंतु जब मुझे जानकारी मिली की पीड़िता के घर वालों ने मेरे व मेरे परिवार खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखवा दिये है, तो मैं अपने बचाव मे पीड़िता को उसके घर छोड़ने के लिये यहां पर आया था और यहां पर आटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था कि आप लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया है। साहब मुझ से गलती हो गयी है, मुझे माफ कर दीजिए।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सनी पुत्र स्व0 अशोक कुमार निवासी ग्राम फत्तेखेड़ा मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष।

04- पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0स0 278/2026, धारा 87/137(2)/351(3) बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1406
दिनांक-11.08.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा मोबाइल चोरी में गिरफ्तार एवं पुलिस अभिरक्षा से फरार शातिर अभियुक्त को 24 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2026 को **वादिनी मुकदमा श्रीमती सुशीला साहू** पत्नी श्री शत्रोहन साहू नि0-पन्नी वाली गली निवाजगंज चौराहा थाना ठाकुरगंज लखनऊ के द्वारा तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया गया कि 07/08/2026 को रात्रि में करीब 02.30 बजे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा छत के रास्ते घर में घुसकर अलमारी में रखी नगदी व ओप्पो कंपनी का मोबाइल चोरी कर लेकर भाग गया।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-527/2026 धारा-305ए/331(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम अज्ञात** के पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं घटना में शामिल चोर की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज आदि एवं अन्य साक्ष्य संकलन एवं मुखबिरी सूचना के आधार पर दिनांक-09.08.2026 को उक्त घटना में **शामिल अभियुक्त-शानू उर्फ मो0 समद पुत्र स्व0 रईस उर्फ शाहिल निवासी- रईस नगर जामा मस्जिद के पीछे तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र-32 वर्ष** को **गुलालाघाट थाना क्षेत्र** ठाकुरगंज से समय 23.40 बजे गिरफ्तार कर हवालात में निरूद्ध किया गया था।

निरूद्धी के दौरान सुबह के समय अभियुक्त द्वारा शौच जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर अभियुक्त उपरोक्त को **संतरी ड्यूटी पर उपस्थित आरक्षी की निगरानी में शौच क्रिया हेतु थाना परिसर में बने शौचालय भेजा गया। इसी दौरान उक्त अभियुक्त चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।**

जिसके सम्बन्ध में **थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-533/2026 धारा-261/262 बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया।** उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना स्तर से 04 टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तारी हेतु लगी हुयी ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा **फरार/वाँछित अभियुक्त शानू उर्फ मो0 समद** उपरोक्त को **आज दिनांक-11.08.2026** को **लल्ला बिरयानी शॉप के पास चौपटिया रोड थाना क्षेत्र सआदतगंज से गिरफ्तार** कर पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

01-मु0अ0सं0-11/2016 धारा-380/411/457 आई पी सी थाना तालकटोरा लखनऊ

02-मु0अ0सं0-56/2016 धारा-379 बी.एन.एस थाना अलीगंज लखनऊ

03-मु0अ0सं0-61/2016 धारा-380/457 थाना अलीगंज लखनऊ

04-मु0अ0सं0-368/25 धारा - 305(A)/331(3)/317 (2)/324 (2) बी.एन.एस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

05-मु0अ0सं0-443/24 धारा-118 (1)/351 (3)/352 बी.एन.एस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

06-मु0अ0सं0-527/2026 धारा-305ए/331(4)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

07-मु0अ0सं0-533/2026 धारा-261/262 बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शानू उर्फ मो0 समद पुत्र स्वः रईस उर्फ शाहिल निवासी- रईस नगर जामा मस्जिद के पीछे तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ व उम्र-32 वर्ष।

05-बरामदगी का विवरण-

एक अदद oppo कंपनी का मोबाईल फोन रंग गहरा नीला।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना ठाकुरगंज

- **प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान** थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
- उ0नि0 राजीव प्रताप सिंह प्रभारी चौकी हुसैनाबाद
- उ0नि0 श्री रितेश कुमार राय प्रभारी चौकी तहसीनगंज
- का0 मोहित सिंह
- का0 दीप नारायण
- का0 बृजेश कुमार यादव
- रि0 का0 अजीत कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1410
दिनांक- 11.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी थाना मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक-26.07.2026 की रात्रि में वादिनी की पुत्री आभूषण एवं नगदी लेकर कही चली गयी है। जानकारी करने पर पता चला कि सनी पुत्र स्व0 अशोक कुमार, निवासी उपरोक्त, भी अपने घर पर मौजूद नहीं था। इस संबंध में जानकारी करने पर विपक्षीगण द्वारा वादिनी के साथ वाद-विवाद किया गया। वादिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व विपक्षीगणों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मोहनलालगंज, लखनऊ पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0-278/2026, धारा 87/137(2)/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के सफल अनावरण एवं पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा तत्काल 02 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से दिनांक 11.08.2026 को अभियुक्त सनी को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया व पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।

02-पूछताछ अभियुक्तः-

अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से कई सालों से जानते है। जिस कारण मैने पीड़िता को बहला फुसलाकर दिनाक 26.08.2026 को अपने साथ भगाकर नादरगंज लखनऊ चला गया था। परंतु जब मुझे जानकारी मिली की पीड़िता के घर वालों ने मेरे व मेरे परिवार खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखवा दिये है, तो मैं अपने बचाव मे पीड़िता को उसके घर छोड़ने के लिये यहां पर आया था और यहां पर आटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था कि आप लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया है। साहब मुझ से गलती हो गयी है, मुझे माफ कर दीजिए।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सनी पुत्र स्व0 अशोक कुमार निवासी ग्राम फत्तेखेड़ा मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष।

04- पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0स0 278/2026, धारा 87/137(2)/351(3) बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1407

दिनांक- 11.08.2026

जोन- उत्तरी / थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 02 अदद चैन (पीली धातु) व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद।**
- **पकड़े गये स्नैचर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर करते थे वारदात।**
- **कब्जे से बरामद 02 अदद चैन (अनुमानित कीमत लगभग ₹03 लाख)**

01-कार्यवाही-

दिनांक 08.08.2026 को आवेदक श्री मोहित अवस्थी पुत्र श्री ओम प्रकाश अवस्थी, निवासी आम की बाग, बालाजी इन्क्लेव, निकट सिकरवार चौराहा, थाना मड़ियांव, लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनकी माता ई-रिक्शा से अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान घर के निकट एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछे से आकर उनकी माता के गले से सोने की चेन छीन ली गई तथा कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल लेकर खड़े अपने दो साथियों के साथ बैठकर मौके से फरार हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-379/2026, धारा 304(2) बीएनएस, बनाम अज्ञात तीन बाइक सवार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश के क्रम में उपरोक्त घटना कारित करने वाले 01. इम्तियाज पुत्र वसीम निवासी-सलेमपुर पतौरा बादल खेड़ा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब-30 वर्ष 02. देवेन्द्र सिंह पुत्र सरवन सिंह निवासी-मूलपता-मरई थाना हरियावां हरदोई, हालपता-एलडीए कालोनी राजाजीपुरम थाना सहादतगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष तथा 03. अरुण त्रिपाठी पुत्र राम प्रकाश निवासी-पतौरा बुद्धेश्वर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए यादव चौराहे के पास से 02.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

03. अनावरित अभियोगों का विवरणः-

1. मु0अ0सं0- 379/26 धारा 304(2) बीएनएस
2. मु0अ0सं0 361/26 धारा 304(2) बी0एन0एस0

पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा करीब दो माह पूर्व आई आई एम रोड पर एक राह चलते व्यक्ति से मोबाइल भी छीना गया था जिसका लॉक न खुलने पर पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा यादव चौराहे के पास झाडियो मे फेंक दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 346/26 धारा 304(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत होना पाया गया।

बरामदगी के आधार पर धारा 304(2),317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस बढोत्तरी की गई।

04.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्तगण द्वारा राह चलते लोगो से मोबाइल व चैन आदि स्नैचिंग कर राह चलते लोगो को बेचकर मिले सामान व रुपयों का उपयोग अपने शौक पूरे करने व जुआं खेलने में करते हैं। तथा इसी से हमारा जीवन यापन करना।

05.गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. इम्तियाज पुत्र वसीम निवासी-सलेमपुर पतौरा बादल खेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब-30 वर्ष (व्यव्साय – विक्रम चालक)
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र सरवन सिंह निवासी-मूलपता-मरई थाना हरियावां हरदोई,हालपता-एलडीए कालोनी राजाजीपुरम थाना सहादतगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष (व्यव्साय – आटो रिक्शा चालक)
3. अरुण त्रिपाठी पुत्र राम प्रकाश निवासी-पतौरा बुद्धेश्वर थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष (व्यव्साय – जोमेटो/स्वीगी में डिलवरी बाय)

06.आपराधिक इतिहास अभियुक्त इम्तियाज उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0-1337/2017 धारा-363,366,376 भदवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-125/2025 धारा-309(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना हसनगंज जनपद उन्नाव।
3. मु0अ0सं0-126/2025 धारा-109 बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हसनगंज जनपद उन्नाव।
4. मु0अ0सं0-158/2025 धारा-309(4) बी0एन0एस0 थाना माखी जनपद उन्नाव।
5. मु0अ0सं0-425/2025 धारा- 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।

आपराधिक इतिहास देवेन्द्र सिंह उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0-353/2025 धारा-109,309(4),317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव ।
2. मु0अ0सं0-724/2025 धारा-2,3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव ।
3. मु0अ0सं0-561/2021 धारा-379,411 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ ।
4. मु0अ0सं0-558/2021 धारा-379 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ ।
5. मु0अ0सं0-567/2021 धारा-379,411 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0-569/2021 धारा-41,411 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
7. मु0अ0सं0-66/2023 धारा-120-B, 392, 411आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरुण त्रिपाठी उपरोक्त

1. मु0अ0सं0-558/2021 धारा-379 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0-561/2021 धारा-379,411 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0-567/2021 धारा-379,411 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0-569/2021 धारा-41,411 आईपीसी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

07. बरामदगी का विवरण:-

- 02 अदद चेन पीली धातु
- घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP32LL 4785 स्प्लेंडर बरामद किया गया। वाहन के कागजात न होने पर धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया ।

08.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
3. उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह
4. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार
5. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी
6. उ0नि0 श्री जोशी रघुवंशी
7. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार
8. हे0का0 आकाश सिंह
9. हे0का0 दुर्गेश सिंह
10. हे0का0 गौरव कुमार सिंह
11. का0 सचिन दूबे
12. का0 मयंक कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1408
दिनांक- 11.08.2026

जोन-उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

थाना सर्विलांस/क्राइम टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना जानकीपुरम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना जानकीपुरम क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का किया गया सफल अनावरण।

- घटना में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- अभियुक्तों के कब्जे से लगभग ₹26 लाख कीमत की भारी मात्रा में ज्वैलरी, ₹3,97,000/- नगद बरामद।
- चोरी की रकम से खरीदी गई क्लासिक बुलेट मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त होंडा मोटरसाइकिल बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक के विरुद्ध पूर्व में भी चोरी, नकबजनी एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कई अभियोग पंजीकृत हैं।

01-कार्यवाही-

थाना जानकीपुरम में पंजीकृत चोरी के मुकदमे का **सफल अनावरण करते हुए संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से **चोरी के आभूषण, ₹3,97,000/- नगद, चोरी के पैसों से खरीदी गई बुलेट मोटरसाइकिल तथा घटना में प्रयुक्त वाहन** बरामद किए गए। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **05.08.2026** को वादी राम नरेश पुत्र स्व0 जगत नारायण शुक्ला निवासी **645ओ/पी-KH183, रामविहारी मार्ग, जानकीविहार, थाना जानकीपुरम, लखनऊ** द्वारा घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए जाने की सूचना दी गई थी। उक्त सूचना पर थाना जानकीपुरम में **मु0अ0सं0 144/2026 धारा 305(A) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विकास सिंह को सुपुर्द की गई।

घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देश के क्रम में **पुलिस उपायुक्त उत्तरी की सर्विलांस/क्राइम टीम एवं थाना जानकीपुरम की संयुक्त पुलिस टीम** द्वारा दिनांक **10.08.2026 को समय 02:25 बजे** मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण **(1) मो0 शोएब उर्फ सुहेल पुत्र मो0 नसीम उर्फ मुल्ला निवासी ग्राम धधरा, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी एवं (2) रवि रावत उर्फ शाका पुत्र श्यामलाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम जमुआ, थाना घुंघटेर, जनपद बाराबंकी, हाल पता सिरिश राय का मकान, निकट ठाकुर पब्लिक स्कूल, अभिषेकपुरम, थाना जानकीपुरम, लखनऊ** को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के **लगभग ₹26 लाख कीमत की भारी मात्रा में ज्वैलरी/आभूषण** एवं अन्य सामान, **₹3,97,000/- नगद तथा चोरी के पैसों से खरीदी गई क्लासिक बुलेट मोटरसाइकिल संख्या UP32 FQ 9811** बरामद हुई। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त **होंडा न्यू वाहन संख्या UP32 FJ 3180** भी बरामद किया गया, जिसके कागजात उपलब्ध न होने पर **धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज** किया गया।

अभियुक्तगण को दिनांक **10.08.2026 को समय 14:25 बजे सीडीआरआई रोड से धारा 305(A)/331(4)/317(2) बीएनएस** के अन्तर्गत नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना आसपास के थानों को दी गई है तथा उनके आपराधिक इतिहास एवं अन्य पंजीकृत अभियोगों के संबंध में जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व व्यवसाय-

1. **मो0 शोएब उर्फ सुहेल** पुत्र मो0 नसीम उर्फ मुल्ला निवासी ग्राम-धधरा थाना-बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उम्र 22 (**व्यवसाय-** मैकेनिक का काम)
2. **रवि रावत उर्फ शाका** पुत्र श्यामलाल उम्र 22 वर्ष निवासी-ग्राम-जमुआ थाना-घुंघटेर जनपद-बाराबंकी हाल-पता सिरिश राय के मकान निकट ठाकुर पब्लिक स्कूल अभिषेकपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ (**व्यवसाय**- मजदूरी)

04.अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

1.अभियुक्त- मो0 शोएब उर्फ सुहेल पुत्र मो0 नसीम उर्फ मुल्ला

01-मु0अ0स0 83/25 धारा 305ए/317/331(4)भादवि थाना मड़ियांव लखनऊ

02-मु0अ0स0 767/24 धारा 305ए/317/331(4)भादवि थाना मड़ियांव लखनऊ

03-मु0अ0स0 720/24 धारा 305ए/317भादवि0 थाना मड़ियांव लखनऊ

04-मु0अ0स0 589/24 धारा 305ए/317/331(4)भादवि थाना मड़ियांव लखनऊ

05-मु0अ0स0 504/24 धारा 305ए/317(2) भादवि थाना मड़ियांव लखनऊ

06-मु0अ0स0 125/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना मड़ियांव लखनऊ ।

07-मु0अ0स0 189/20 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

08-मु0अ0स0 189/20 धारा 380/411/457 भादवि0थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

09-मु0अ0स0 165/20 धारा 3/25 आर्म्स अक्ट थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

10-मु0अ0स0 146/20 धारा 380/411/457 भादवि0थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

11-मु0अ0स0 161/20 धारा 380/411/457 भादवि0थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

12-मु0अ0स0 146/20 धारा 380/411/457 भादवि0थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

13-मु0अ0स0 036/25 धारा 127(2)/309(6)/127(2)/309(6)/317(2)थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

14-मु0अ0स0 0165/25 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी।

15-मु0अ0स0 01163/18 धारा 294 भादवि0 थाना कोतवाली जिला बाराबंकी।

16-मु0अ0स0 223/20 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना मसौली जिला बाराबंकी।

05-अभियुक्तगण का मोडस ऑपरेंडी

अभियुक्तगण द्वारा **बंद मकानों की रेकी कर ताला तोड़कर** सोने-चांदी के आभूषण एवं नगदी चोरी की जाती थी। **चोरी के माल एवं नगदी को आपस में बांटकर, चोरी की रकम से वाहन आदि खरीदे जाते थे।** वर्तमान घटना में भी दोनों अभियुक्तों द्वारा इसी प्रकार घटना कारित की गई।

06. अनावरित अभियोग का विवरण -

01- मु0अ0स0-**144/2026** धारा **305(ए)/331(4)/ 317(2)** बीएनएस

07. बरामदगी का विवरण:-

02 अदद कटोरी, 02 अदद चम्मच, 01 अदद ट्रे, 01 अदद ईंट, 01 अदद बिस्किट, 02 अदद बड़े सिक्के, 02 जोड़ी बच्चों की नजरिया, 02 अदद सिक्के, 01 अदद ₹5 का नोट, 01 जोड़ी पाजेब, 02 जोड़ी पायल, 01 अदद छोटा कड़ा, 04 जोड़ी मीना, 11 अदद अंगूठियां, 08 अदद घड़ियां, 01 जोड़ी ईयर रिंग, 01 अदद चेन लॉकेट सहित, 01 अदद मंगलसूत्र लॉकेट, 01 अदद ओम, 02 अदद चमकीले नेकलेश, 01 अदद बेंडल, 02 अदद नेकलेश, 01 जोड़ी कान का टप्पस, 01 अदद मांगटीका, 01 जोड़ी छोटा ब्रेसलेट, 01 अदद नेकलेश, 01 अदद मालदीव का ₹5 का नोट, **01 अदद क्लासिक बुलेट मोटरसाइकिल सिल्वर रंग, वाहन संख्या UP32FQ9811 व घटना में प्रयुक्त होंडा न्यू वाहन संख्या UP32 FJ 3180 तथा ₹3,97,000/- नगद।**

08-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

सर्विलांस/क्राइम टीम (डीसीपी उत्तरी)

1.स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि दीपक कुमार

2. हे0का0 अवधेश गिरी

3. हे0का0 नदीम

4. हे0का0 संतोष कुमार

5. हे0का0 अमित कुमार गौतम

6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह

7. का0 विशेष दुहूण

8. का0 अमन शुक्ला

- थाना जानकीपुरम पुलिस टीम लखनऊ:-

1. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार तिवारी
2. उ0नि0 विकास सिंह
3. उ0नि0 सौरव कुमार
4. उ0नि0 अनुभव
5. उ0नि0 मुकुल आनन्द
6. उ0नि0 मनीष कुमार चौहान
7. हे0का0 अजीत कुमार वर्मा